सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या **779** राँची, गुरुवार

7 कार्तिक, 1937 (श०)

29 अक्टूबर, 2015 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

14 अक्टूबर, 2015

विषय :- केंद्र प्रायोजित "स्वच्छ भारत मिशन" (शहरी) कार्यक्रम अंतर्गत सरकारी अथवा अतिक्रमित भूमि में अवस्थित वैध / अवैध कॉलोनियों एवं अधिसूचित / गैर अधिसूचित स्लम्स (slums) में लाभुकों को चिन्हित कर शौचालय निर्माण करने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

.....

संख्या-07/न०वि०/विविध -(SBM)-05/2014- 3800--शहरी क्षेत्रों में शौचालयों का अभाव दूर करने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन नामक महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गयी है, जिसके तहत विभिन्न प्रकार के शौचालयों का निर्माण एवं ठोस अपशिष्ट का निस्तारण करते हुये वर्ष 2019 तक पूर्ण स्वच्छता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित है।

इस हेतु शहरी विकास मंत्रालयए भारत सरकार को शहरी क्षेत्रों में योजना के कार्यान्वयन हेतु प्राधिकृत किया गया है। राज्य स्तर पर नगर विकास एवं आवास विभाग योजना का प्रशासी विभाग है ।

2. स्वच्छ भारत मिशन की मार्गदर्शिका की कंडिका 5.3 में " स्वच्छ भारत मिशन" (शहरी) कार्यक्रम अंतर्गत वैध/अवैध कॉलोनियों अथवा अधिसूचित/गैर अधिसूचित स्लम्स (Slums) में लाभुकों को चिन्हित कर शौचालय निर्माण करने हेतु निम्नांकित दिशानिर्देश दिए गए हैं :-

"Beneficiary household groups will be targeted under this scheme irrespective of whether they live in authorized/unauthorized colonies or notified / non-notified slums. Under SBM (Urban), tenure security issues are to be de-linked with benefits".

उपर्युक्त दिशानिर्देश से यह स्पष्ट है की स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत खुले में शौच की समस्या को समाप्त करने हेतु सरकारी अथवा अतिक्रमित भूमि में अवस्थित वैध /अवैध कॉलोनियों अथवा अधिसूचित/ गैर अधिसूचित स्लम्स (Slums) में लाभुकों को चिन्हित कर शौचालय निर्माण कराये जाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें भूमि पट्टा प्रतिभूति (*security*) को मिशन के अधीन मिलने वाले लाभ से अलग (de-linked) रखा गया है।

3. भारत सरकार के USHA (Urban Statistics for HR and Assessment) सर्वे के अनुसार झारखण्ड राज्य के 24 जिलों में पंद्रह सौ से अधिक स्लम्स (Slums) हैं जो वैध/अवैध प्रकृति के हैं तथा प्रमुख नालों, रेलवे लाइन, सड़कों, नदी-नालों के किनारे एवं खतरनाक स्थानों पर अवस्थित हैं। इन slums में बड़ी आबादी निवास करती है। उक्त आबादी में से अधिकांश के पास स्थान/भूमि की कमी है जिसके कारण शौचालय बनाना उनकी प्राथमिकता में नहीं है। गरीबी एवं अशिक्षा के कारण वे शौचालय बनाना आवश्यक नहीं समझते एवं खुले में शौच करना उनकी आदत एवं आवश्यकता बन गयी है जिसके कारण उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं वातावरण दूषित होता है।

4. सरकारी योजनाओं के माध्यम से व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालयों का निर्माण पर्याप्त संख्या में नहीं किया जा सका है। उक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण सरकारी अथवा अतिक्रमित भूमि में अवस्थित वैध/अवैध कालोनियों एवं अधिसूचित/गैर अधिसूचित

स्लम्स (Slums) में लाभुकों एवं समुदाय की सहमति से उपलब्ध कराई गयी भूमि पर किया जाए।

5. स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सभी सरकारी अथवा अतिक्रमित भूमि में अवस्थित वैध/अवैध कॉलोनियों अथवा अधिसूचित/गैर अधिसूचित स्लम्स (Slums) में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालय निर्माण किया जायेगा, जिसमें भूमि पट्टा प्रतिभूति (security) को मिशन के अधीन मिलने वाले लाभ से अलग (de-Linked) रखा जायेगा।

6. व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण हेतु अतिक्रमित भूमि में रह रहे चिन्हित लाभुक द्वारा यथेष्ट स्थान उपलब्ध कराया जायेगा जबकि सामुदायिक शौचालय उसी परिस्थिति में बनेंगे, जहाँ व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण संभव नहीं है एवं निर्धारित स्थान / भूमि पर समुदाय विशेष की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। किसी slum विशेष में पर्याप्त संख्या में लाभुक चिन्हित होने पर सम्बंधित नगर निकाय द्वारा slum के नजदीक उचित भूमि का चयन शौचालय निर्माण के लिए किया जायेगा। उक्त सहमति हेतु जन सामाजिक संगठनों, गैर सरकारी संगठन, क्षेत्र, वार्ड अथवा मोहल्ला सभा का सहयोग इस कार्य हेतु लिया जायेगा। सभी सामुदायिक शौचालयों का निर्माण आवश्यकतानुसार किया जायेगा, जिसमें पुरुष तथा महिलाओं के लिए अलग.अलग व्यवस्था की जाएगी। साथ ही स्नानादि हेतु एवं निशक्तों के लिए भी समुचित सुविधाएँ दी जाएगी ।

7. अतिक्रमित भूमि पर राज्य सरकार के स्वामित्व व स्वत्व को प्रभावित किये बिना तथा सरकारी भूमि से बेदखली के प्रावधानों को प्रभावित किये बिना व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालय निर्माण किया जायेगा।

8. सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। परन्तु सम्बंधित भूमि का हस्तांतरण शौचालय निर्माण के उपरांत नगर विकास एवं आवास विभाग के पक्ष में सम्बंधित उपायुक्त द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

9. नगर बिकास एवं आवास विभाग द्वारा पूर्व के कार्यक्रमों में बनाये गए शौचालयों के उपयोग मे न आने तथा Proper Maintenance न होने के उदाहरण को देखते हुए इस योजना के अंतर्गत बनने वाले शौचालयों के Proper Maintenance के साथ उपयोगी रहने के लिए सुदृढ़ Plan बनाकर उसका समुचित क्रियान्वयन कराया जायेगा।

10. प्रस्ताव पर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग तथा योजना -सह - वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 29 सितम्बर, 2015 में मद संख्या-08 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
अरुण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 779—50+200 ।